Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

# राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
# RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

## 129th MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
## Held on 22.06.2020

## MINUTES

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की **प्रबन्ध मण्डल** की **129वीं बैठक** दिनांक **22 जून, 2020** को दोपहर 2:30 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक सूचना **परिशिष्ठ–1** एवं बैठक में उपस्थित होने वाले वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है। कोविड–19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत जो सदस्य बैठक में व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हो सके उन्होंने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन बैठक में भाग लिया गया। उपस्थिति पत्रक में ऐसे सदस्यों की सूचना उपलब्ध है।

बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति व अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा सं. 1 **प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन एवं सर्कुलेशन द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि :–**

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.01.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ तथा सर्कुलेशन दि. 13.02.2020, 06.03.2020 एवं 23.05.2020 के कार्यवाही विवरण का पुष्टि हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सर्कुलेशन दि. 13.02.2020, 06.03.2020 एवं 23.05.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.01.2020 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि प्रबन्ध मण्डल के पूर्व के बैठक कार्यवाही विवरणों में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रबन्ध मण्डल की बैठक में चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों और निर्देशों को कार्यवाही विवरण में लिखा जाना चाहिए एवं जिन सुझावों/मतों पर सर्वसम्मति बनती है उनकी अक्षरक्षः पालना भी समयबद्ध रूप सुनिश्चित की जानी चाहिए। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई।**

**डॉ. जितेन्द्र सिंह, मा. विधायक एवं डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि उन्हें विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में तत्काल अस्थाई आधार (यू.टी.बी.) पर कार्यरत चिकित्सकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जो प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत चिकित्सकों भी अन्य नियमित चिकित्सकों की भांति चिकित्सा शिक्षा और मरीजों की सेवा में अपना योगदान दे रहे है और कोविड–19 महामारी के दौरान भी इन चिकित्सकों की भूमिका अहम रही है। इसलिए विश्वविद्यालय को यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत चिकित्सकों के हितों के लिए भी विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण अन्य नियमित चिकित्सकों के समान होना चाहिए।**

**यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के विभिन्न बिन्दुओं पर**

चर्चा एवं निर्णय निम्नानुसार रहा : –

1. ***सेवाअवधि को निरन्तर रखने बाबत :***
*यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि कई चिकित्सक विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में एक लम्बी अवधि से कार्यरत है। विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर एम.सी.आई. की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इनकी सेवाअवधि में प्रबन्ध मण्डल के स्तर या राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त विस्तार किया गया है। चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कुछ प्रकरणों में सेवा अवधि के एक्सटेंशन में गेप दे दिया गया है जिससे उनकी सेवा अवधि निरन्तर नहीं हो सकी है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा सेवा अवधि में विस्तार (एक्टेंशन) देते समय गेप नहीं दिया जावे ताकि उनकी सेवाऐं निरन्तर बनी रहे।*

**सदन को अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर 01 वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर से की जाती है एवं 01 वर्ष उपरान्त सेवा में उक्त अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव समय–समय पर प्रधानाचार्य से प्राप्त अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भिजवाये जाते हैं। राज्य सरकार को प्रेषित किये गये ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय स्तर से ही आवश्यक निर्णय लिया जावे।**

**सदन को यह भी अवगत कराया गया कि प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 30.01.2020 के एजेण्डा बिन्दु सं. 17 में यह निर्णय लिया गया था कि जिन प्रकरणों में सेवा अवधि विस्तार की कार्यवाही की जानी हो, उनमें विश्वविद्यालय स्तर पर ही नियमानुसार RAJMES की भांति कार्यवाही कर दी जावे। सदस्यों को बताया गया कि प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय की अनुपालना में ही सेवा अवधि के विस्तार की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त यू.टी.बी. की नियुक्ति के ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त हुए हो, उनमें माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की गई है।**

**चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यू.टी.बी. चिकित्सकों की अवधि समाप्ति पर पुनः नियुक्ति/सेवा अवधि बढाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रकिया के संबंध में मार्गदर्शन लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।**

2. **नियमित भर्ती में बोनस अंकों और भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में :**
यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा लम्बी अवधि की सेवाऐं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सक शिक्षकों की जो नियमित भर्ती की जा रही है उनमें ऐसे यू.टी.बी. चिकित्सकों को उनकी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय/चिकित्सालय में दी गई सेवाओं की अवधि को ध्यान में रखते हुए बोनस अंक दिये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि विश्वविद्यालय द्वारा यू.टी.बी. आधार पर भर्ती की प्रकिया नहीं अपनाकर नियमित भर्ती की प्रकिया अपनानी चाहिए और ऐसी भर्ती में पूर्व में यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत चिकित्सकों को एब्जार्व/प्राथमिकता भी प्रदान की जानी चाहिए। उन्होने अपने अभ्यावेदन में एब्जार्वेशन के लिए The Rajasthan Universities' Teachers (Asbsorption of Temporary Teachers) Act, 2008 का हवाला देते हुए कार्यवाही की मांग की गई। इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिये जाने बाबत् उन्होंने सदन को निवेदन किया।

**डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा अपनी कई नियमित भर्तियों में संविदाकर्मियों और अस्थाई कर्मचारियों को उनके द्वारा दी**

**गई सेवाअवधि के आधार पर बोनस अंक दिया गया है। अतः यू.टी.बी. चिकित्सकों के प्रकरण में भी बोनस अंक दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।**

**सदन को अवगत कराया गया कि अनुभव के आधार पर सेवाऐं नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नही है। यू.टी.बी. चिकित्सक वाक–इन–इंटरव्यू के आधार पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने Umarani Vs. Registrar, Cooperative Societies and Others (2004 (7) SCC 112) में निम्नानुसार व्याख्या की है :–**

*"When appointments were made in contravention of mandatory provisions of the Act and statutory rules framed there under and by ignoring essential qualifications, the appointments would be illegal and cannot be regularized by the State. The State could not invoke its power under Article 162 of the Constitution to regularize such appointments. This Court also held that regularization is not and cannot be a mode of recruitment by any State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India or any body or authority governed by a statutory Act or the Rules framed thereunder. Regularization furthermore cannot give permanence to an employee whose services are ad hoc in nature. It was also held that the fact that some persons had been working for a long time would not mean that they had acquired a right for regularization."*

**डॉ. जितेन्द्र सिंह, मा. विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि यू.टी.बी. आधार पर कार्यरत दो चिकित्सकों को विश्वविद्यालय द्वारा नियमित किया गया है। इस क्रम में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि यू.टी.बी. सेवा के आधार पर इस प्रकार से किसी भी चिकित्सक शिक्षक को नियमित नहीं किया गया है।**

**सदन को यह भी अवगत कराया गया कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के अशा.टीप दिनांक 13.02.2020 के अनुसार चिकित्सक शिक्षकों को आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं आवश्यकता के आधार पर मूलतः मात्र कार्य सम्पादन के लिए नियमित भर्ती होने तक के लिए की जाती है। नियुक्ति से पूर्व चिकित्सक शिक्षकों को यह जानकारी रहती है कि वे आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्त किये जा रहे हैं। आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों को नियमित किये जाने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।**

***(उपरोक्त जानकारी डॉ. अंकिता अग्रवाल एवं डॉ. वरूण सिंह के अभ्यावेदन के संबंध में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की है और वि.वि. को प्रतिलिपि के माध्यम से सूचित किया गया है।)***

**विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि तत्काल/अस्थाई आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।**

**एजेण्डा सं. 2** **निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

निरीक्षण मण्डल की बैठक दि. 18.02.2020 एवं 06.03.2020 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **निरीक्षण मण्डल की बैठक दि. 18.02.2020 एवं 06.03.2020 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।**

**एजेण्डा सं. 3** **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020 का बैठक कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

एजेण्डा सं. 4 **परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.01.2020, 06.03.2020, 06.05.2020 एवं 28.05.2020 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.01.2020, 06.03.2020, 06.05.2020 एवं 28.05.2020 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।**

एजेण्डा सं. 5 **विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.05.2020 का बैठक कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.05.2020 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

**साथ ही चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक से उक्त प्रकरण पर जानकारी चाही गई, परीक्षा नियत्रंक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी कार्यो के सुचारू संचालन हेतु बाहर से आने वाले परीक्षकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान यात्रा भत्ते के प्रावधानानुसार कार माईलेज एवं रेल माईलेज से जो भी कम हो भुगतान कर दिया जाता है इससे विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य में बाह्य परीक्षक को दावें का पूर्ण भुगतान नही हो पाता है पूर्व में भी 7/– रूपये प्रति कि.मी. की दर से दावों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा यात्रा भत्ता नियमों में समय–समय पर संशोधन कर उक्त दर को 9/– रूपये प्रति कि.मी. कर दिया है। अतः बाह्य परीक्षक 9/– रूपये प्रति कि.मी. की दर से दावे करते है, वित्त समिति की 44वीं बैठक में इसे 7 से बढ़ाकर 9/– रूपये प्रति कि.मी कर दिया है तथा राजस्थान यात्रा भत्ता नियमानुसार भुगतान हेतु निर्देशित किया है। जिससे विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी कार्य में बाह्य परीक्षक आने में इच्छुक नही रहते है। अतः राज.वि.वि. के केवल परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यो हेतु राजस्थान यात्रा भत्ता नियम के तहत जारी आदेश F6(3)FD/Rules/2012 pt TA(01/2017) के अनुलग्नक–।। के बिंदु संख्या 05 "In case journey is performed in a motor car owned by a Govt. servent, the mileage allowance will be limited to the millege allowances admisiable up to the limit of rail mileage allowance" से छूट प्रदान की जावें।**

**उक्त स्पष्टीकरण पर सचिव, वित्त व्यय विभाग द्वारा वित्त अधिकारी सें चर्चा की गई तथा प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार करते हुए परीक्षा सम्बन्धी कार्यो हे बाह्य परीक्षक/अन्य द्वारा कार/टैक्सी से यात्रा करने पर 8/– रूपये की दर से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा सं. 6 **राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के यू.जी. इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों व पी.जी. रेजीडेन्ट्स को स्टाईपेंड भुगतान के संबंध में:–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एम.बी.बी.एस. कोर्स का प्रथम बैच सत्र 2014–15 में प्रवेशित हुआ एवं इस महाविद्यालय में पी.जी. (मेडिकल–एम.डी.) कोर्स सत्र 2019–20 से प्रारम्भ हुआ। इस महाविद्यालय के यू.जी. एम.बी.बी.एस. (प्रथम बैच) के इन्टर्नशिप करने वाले यू.जी. छात्रों तथा नवीन रूप स प्रारम्भ किये गये पी.जी. कोर्स के रेजीडेन्ट्स का स्टाईपेंड का प्रकरण प्रथम बार वर्ष 2019 में आया है। इस संबंध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में रखा गया। विचार–विमर्श प्रबन्ध मण्डल द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के यू. जी. इन्टर्नस् व पी.जी. रेजीडेन्ट्स को राज्य सरकार के अन्य मेडिकल कॉलेजों के अनुसार स्टाईपेड वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की सहमति के पश्चात दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय के पत्रांक 16452 दि. 02.11.2019 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को स्टाईपेंड भुगतान हेतु आवश्यक सहमति बाबत् निवेदन किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर से निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार का पत्रांक प.7(96)RUHS Stipend/डी.एम.ई./एके/2019/पार्ट–1 दिनांक 15.01.2020 भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की सूचना चाही गई। यह सूचना विश्वविद्यालय के पत्रांक 23656 दि. 22.01.2020 द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई गई।

इस संबंध में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक 1225 दिनांक 06.03.2020 द्वारा स्टाईपेंड भुगतान के बारे में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परामर्श से विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया। वित्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की वर्तमान एवं भावी सम्भावित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टाईपेंड भुगतान का निर्णय अपने स्तर पर लिये जाने तथा स्टाईपेंड का समस्त वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय स्त्रोंतों से वहन किये जाने का परामर्श दिया गया।

उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय के बैच 2014–15 के यू.जी. इन्टर्नस् व बैच 2019–20 के पी.जी. रेजीडेन्ट्स को राज्य सरकार के अनुसार स्टाईपेंड दिये जाने पर वित्तीय वर्ष 2019–20 का खर्च राशि रू. 1,98,89520/– एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का खर्च रू. 2,00,50800/–होगा। (रेजीडेन्ट संख्या व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाईपेंड की दर पर आधारित अनुमान राशि)

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परामर्श अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्टाईपेंड के भुगतान का निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई। माह फरवरी–2020 में विधानसभा का सत्र संचालित होने के कारण प्रबन्ध मण्डल की नियमित बैठक आयोजित नहीं हो सकी एवं प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष सर्कुलेशन के माध्यम से दिनांक 06.03.2020 (127th BOM By Circulation dt. 06-03-2020) को प्रेषित किया गया। उक्त सर्कुलेशन दिनांक 06.03.2020 के निर्णयानुसार प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल की नियमित बैठक में रखा जाने के निर्देश प्राप्त हुए। प्रबन्ध मण्डल के सर्कुलेशन दि. 06.03.2020 के कार्यवाही विवरण के अनुसार उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की नियमित बैठक में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है। महाविद्यालय के यू.जी. इन्टर्नस् व पी.जी. मेडिकल रेजीडेन्ट्स को वर्तमान समय तक स्टाईपेंड का भुगतान नहीं किया गया है।

निर्णय : **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मेडिकल यू.जी. इन्टर्नस् व पी.जी. मेडिकल रेजीडेन्ट्स को स्टाईपेंड दिये जाने के प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. जितेन्द्र सिंह, मा. विधायक एवं डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा स्टाईपेंड के भुगतान नहीं होने के कारणों से अवगत कराये जाने हेतु कहा गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में राज्य सरकार के अन्य मेडिकल कॉलेजों के अनुसार स्टाईपेड वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की सहमति के पश्चात दिये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की वर्तमान एवं भावी सम्भावित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टाईपेंड भुगतान का निर्णय अपने स्तर पर लिये जाने तथा स्टाईपेंड का समस्त वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय स्त्रोंतों से वहन किये जाने का परामर्श दिया गया। उक्त परामर्श वि.वि. को दिनांक 22.01.2020 को प्राप्त हुआ जिसके पश्चात प्रकरण को दि. 06.03.2020 को पुनः प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष रखा गया। शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल की नियमित बैठक में रखे जाने के निर्देश प्राप्त हुए एवं प्रकरण तदानुसार ही प्रबन्ध मण्डल की नियमित बैठक में रखा गया है।**

**विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में यू.जी. इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों व पी.जी. रेजीडेन्ट्स को स्टाईपेंड का भुगतान राज्य सरकार के अन्य मेडिकल कॉलेजों के अनुसार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कोष से किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।**

**एजेण्डा सं. 7** **विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ को गेल (इंडिया) लिमिटेड को वापस लौटाये जाने बाबत।**

*(सन्दर्भः—आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.9(235)/डी.एम.ई. /RUJS JPR 2016/1425 दिनांक 20.03.2020)*

विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत राशि रू. 1.50 करोड़ जारी की गयी थी, जिसका उपयोग नहीं हो पाया था।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक 4093 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा उक्त राशि का उपयोग लोकहित में अन्य किसी प्रकार से किया जा सकता है, तो इस बाबत गेल (इंडिया) लिमिटेड के उच्चाधिकारियों से विचार–विमर्श उपरांत निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सूचित किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था।

अतिरिक्त निदेशक के उक्त पत्र के क्रम में उक्त राशि का लोकहित में अन्य किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है के निर्णय हेतु विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01. 10.2018 में प्रकरण रखा गया था। प्रबन्ध बोर्ड की उक्त बैठक में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जारी राशि रू. 1.50 करोड़ के लोकहित में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना एवं इसकी क्रियान्विति हेतु गेल इंडिया लिमिटेड की स्वीकृति उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के क्रम में वि.वि. पत्र क्रमांक 17131 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान की गयी राशि का उपयोग लोकहित में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना के कार्य में उपयोग लिये जाने की स्वीकृति दिये जाने पुनः गेल इंडिया लिमिटेड को निवेदन प्रस्तुत किया गया

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 17131 दिनांक 27.11.2018 के क्रम में गेल इंडिया लिमिटेड से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दिये गये राशि रू. 1.50 करोड़ का CSR Policy के अनुसार दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किये जा सकने बाबत लिखा गया है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड के पत्र के माध्यम से Cath Lab की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को दी गयी राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने बाबत पत्र प्राप्त हुआ।

अतः गेल इंडिया लिमिटेड से CSR योजना के तहत "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु प्राप्त राशि रू. 1.50 करोड को वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण को पुनः विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में रखा गया जिसके एजेण्डा संख्या 23 में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल ने गेल इण्डिया लिमिटेड से प्राप्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अन्य उपयोग (जैसे स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना) हेतु ही किये जाने का पुनः निर्णय लिया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 22236 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा उक्त राशि का उपयोग लोकहित में अन्य उपयोग में किये जाने की स्वीकृति जारी करने हेतु लिखा गया।

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 22236 दिनांक 07.01.2020 के क्रम में गेल इंडिया लिमिटेड का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दिये गये राशि रू. 1.50 करोड़ का CSR Policy के अनुसार दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किये जा सकने बाबत लिखा गया है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड के पत्र के माध्यम से Cath Lab की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को दी गयी

राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने का निवेदन किया गया था।

गेल इंडिया लिमिटेड के पत्र दिनांक 14.01.2020 में उल्लेख किया गया है कि इस राशि को लौटाये जाने के उपरान्त पुनः लोकहित के कार्यों जैसे स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना के लिए विस्तृत योजना विवरण गेल प्रबंधन के विचार हेतु कार्यालय में प्रस्ताव भेजा जा सकता है। गेल इंडिया लिमिटेड के संदर्भित पत्र में बताया गया है कि यह मुददा सीएजी ऑडिट में पिछले कई वर्षों से एक गंभीर ऑडिट पैरा लम्बित है और समय–समय पर इस ऑडिट पैरा को सीएजी, शीर्ष प्रबंधन के सामने उठाती रहती है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा विश्वविद्यालय को सीएसआर योजना के तहत प्रदान की गयी राशि को पुनः गेल इंडिया लिमिटेड को लौटा दिया जावे।

प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 30.01.2020 में रखा गया जिसमें गेल (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त उक्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जाने की स्वीकृति हेतु पुनः प्रयास किये जावें। कुलपति महोदय द्वारा भी यह कहा गया कि उनके स्तर पर इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के सन्दर्भित पत्र क्रमांक प.9(235)/डी. एम.ई./RUJS JPR 2016/1425 दिनांक 20.03.2020 में प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गयी राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने के संबंध में प्रकरण पुनः विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्तर से पूर्व में प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों की अनुपालना में गेल इण्डिया लिमिटेड से यह निवेदन किया जा चुका है कि सीएसआर के तहत विश्वविद्यालय को दी गई उक्त राशि रू. 1.50 करोड का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अन्य जनउपयोगी कार्य के लिए उपयोग कर लिया जावे। परन्तु विश्वविद्यालय के कई प्रयासों के बाद भी गेल इण्डिया लि. के स्तर से ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। गेल इण्डिया लि. द्वारा इस संबंध में अवगत कराया है कि यह प्रकरण सीएजी ऑडिट में गंभीरता से लिया गया है। सदन को सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।**

**विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर के तहत दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटा दी जावे।**

एजेण्डा सं. 8 **चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध शैक्षणिक चिकित्सालयों के अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक पद पर चयन/नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध मे:–**

नवीन चिकित्सालय हेतु अधीक्षक एवं उप–अधीक्षक नामित किये जाने हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 123वीं बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 12 के अन्तर्गत विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> *"सदन को यह अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाचार्य व नियंत्रक तथा इनसे संलग्न चिकित्सालयों में अधीक्षक का पद Ex-Cadre होता है जिन पर वरिष्ठ फैकल्टी/चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है। उप–अधीक्षक का पद पृथक से स्वीकृत कराया जाता है जिस पर राज्य के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की जाती है।*
>
> *विचार–विमर्श उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न नवीन 500 बैड के चिकित्सालय के लिए एक अधीक्षक एवं एक उप–अधीक्षक का पद Ex-Cadre स्वरूप सृजित करने एवं उसे राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों*

*में लागू प्रावधानों के अन्तर्गत भरे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, राज. सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।"*

प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार को विश्वविद्यालय का पत्रांक 16776 दिनांक 06. 11.2019 प्रेषित कर विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के संलग्न नवीन चिकित्सालय में एक अधीक्षक एवं एक उप–अधीक्षक का पद Ex-Cadre स्वरूप सृजित किये जाने एवं उसे राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में लागू प्रावधानों के अन्तर्गत भरे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, राज. सरकार को भिजवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु प्रत्यूत्तर आज दिनांक तक अपेक्षित है।

यहां उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 5(2)एम.ई./ग्रुप–1/2020 जयपुर दिनांक 02.03.2020 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध शैक्षणिक चिकित्सालयों के अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक पद पर चयन/नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में समेकित दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त दिशा–निर्देश राजकीय/झालावाड़ मेडिकल सोसायटी/राजमैस सोसायटी/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालयों के सम्बद्ध समस्त शैक्षणिक चिकित्सालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उल्लेखनीय है कि राज.स्वा.वि.वि. एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका स्वयं का एक पृथक अधिनियम है। विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों/चिकित्सालयों से संबंधित विभिन्न पदों को भरे जाने के संबंध में उक्त अधिनियम की अनुपालना में विभिन्न परिनियम, नियम व ऑर्डिनेन्स बनाये जाने प्रकियाधीन है। अतः चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सम्बद्ध समस्त शैक्षणिक चिकित्सालयों में अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक पद पर चयन/नियुक्ति/पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रकरण पर चर्चा से पूर्व डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में जानकारी चाही गई। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के भर्ती एवं पदोन्नति नियम राजभवन और राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं, जो कि अभी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हुए हैं। पूर्व में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर जिन अधिकारियों की भर्ती की गई है वे The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974 के प्रावधानों में वर्णित चयन समिति के माध्यम से की गई है।**

**डॉ. जितेन्द्र सिंह, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि चुंकि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका स्वयं का एक पृथक अधिनियम है, अत अधिनियम के अनुसार बनाये गये सेवानियमों में ऐसे पदों पर भर्ती का प्रावधान भी किया जाना उचित होगा।**

**विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चुंकि विश्वविद्यालय के स्वयं के सेवानियम बनाये जाने अभी प्रकियाधीन है एवं संघटक चिकित्सालय में अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक पद पर चयन/नियुक्ति/पदस्थापन किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है इसलिए विश्वविद्यालय के सेवानियमों के अनुमोदन होने तक राज्य सरकार के चिकित्सालयों में ऐसी नियुक्तियों हेतु राज्य सरकार के नियमों में वर्णित कमेटी के प्रावधानों के अनुसार ही राज.स्वा.वि.वि. चिकित्सालय के अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक पद पर चयन/नियुक्ति किये जाने हेतु एक कमेटी का गठन विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाकर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जावे।**

**उक्त पदों पर चयन प्रकिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पादित की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय में कार्यरत फैकल्टी चिकित्सकों को**

**ही वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक एवं उप अधीक्षक के पदों पर चयन किये जावे।**

एजेण्डा सं. 9 **विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में:–**

डॉ. प्रहलाद धाकड़, सह–आचार्य (पातेय वेतन पर), मेडिसिन विभाग, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर ने संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि वह राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य के पद पर दिनांक 24.03.2014 से नियमित रूप से कार्यरत है तथा उन्हें दिनांक 29.09.2018 को मेडिसिन विभाग में सह–आचार्य के पद पर पातेय वेतन पर नियुक्त किया गया था। वह मेडिसिन विभाग में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों में से सबसे वरिष्ठ है। मेडिसिन विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर नियमित चिकित्सक शिक्षक नियुक्त नही किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 17.03.2017 द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेजों के विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1878/14 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2016 के निर्देशों के क्रम में समेकित दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। अतः डॉ. प्रहलाद धाकड़, सह–आचार्य (पातेय वेतन पर), मेडिसिन विभाग, राज.स्वा. वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर से इस संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 18.02.2020 एवं राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विभागों में विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रकरण पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति संबंधित संघटक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य स्तर पर राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जावे। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में स्थाई रूप से कार्यरत चिकित्सकों की वरिष्ठता, रोटेशन, नियुक्ति अवधि आदि के संबंध में भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पालना महाविद्यालय के प्रधानाचार्य स्तर पर सुनिश्चित की जावे।**

एजेण्डा सं. 10 **डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में नियमों में शिथिलता के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किये जाने संबंधी सभी प्रकरणों में एकरूपता रखते हुए ही अध्ययन अवकाश सवैतनिक प्रदान किया जाना है अथवा अवैतनिक, के संबंध में निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के समक्ष पुनर्विचार (Review) हेतु रखा गया। प्रबन्ध मण्डल की 123वीं बैठक दिनांक 04.10.2019 के के बिन्दु संख्या 39 में उक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> *"विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) के उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरण कमेटी द्वारा पुनः अध्ययन किया जावे। कमेटी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक कारण सहित अनुशंषा की जाकर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे कि प्रबन्ध मण्डल से क्या शिथिलता प्राप्त की जानी है। किन–किन प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की जानी है, इसका भी कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जावें।*
>
> *भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत ही किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।"*

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.05.2020 को विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। उक्त बैठक में सलाहकार समिति सदस्यों द्वारा डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंषा की गई है :–

*"सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरान्त समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह अनुशंषा/राय व्यक्त की है कि :–*

*राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम–37 के प्रावधानन्तर्गत एक शिक्षक को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है बशर्ते उसने आवेदन की तिथि तक विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संकाय/ संस्था/कॉलेज/इकाई में पांच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो।*
*डॉ. जैन की राज.स्वा.वि.वि. के संघटक दंत विज्ञान महाविद्यालय में कार्यग्रहण दिनांक से उनके अध्ययन अवकाश पर जाने की अवधि के दौरान 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नही हुई।*
*राजस्थान विश्वविद्यालय के उक्त ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत विशेष प्रकरणों में शिथिलता प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपरोक्त नियमों के नियम 42 के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार – "Notwithstanding anything mentioned above, the syndicate shall have the power to relax these rules in special cases and grant such leave as it may deem fit for reasons to be recorded in writing."*

*किन्तु उक्त नियमों के तहत शिथिलता प्रदान किये जाने का प्रावधान केवल विशेष प्रकरणों में है। चूंकि डॉ. जैन द्वारा किया गया MDS पाठ्यक्रम सुपर स्पेशियलिटी कोर्स है जिसे विशेष उच्च अध्ययन (Special Higher Study) के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। अतः राज. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत इसे विशेष प्रकरण माना जा सकता है। अतः समिति की राय में उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 42 के प्रावधानान्तर्गत शिथिलता प्रदान किया जाना औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत होगा।*

*चूंकि उक्त नियमानुसार शिथिलता प्रदान करने की शक्ति प्रबन्ध मण्डल में निहित है। अतः संबंधित प्रकरण में नियमों में शिथिलता बाबत प्रस्ताव, कमेटी की अनुशंषा के साथ आगामी विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाना उचित होगा। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार ही उक्त प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"*

अतः सलाहकार समिति द्वारा की गई उक्त अनुशंषा के क्रम में डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में नियमों में शिथिलता बाबत प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा अध्ययन अवकाश के प्रकरण में सम्पूर्ण जानकारी सदन के समक्ष उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। प्रकरण की विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रखी गई। सदन को अवगत कराया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 में अध्ययन अवकाश संबंधी प्रावधान है जो कि इस विश्वविद्यालय द्वारा धारित किये गये है। राज.वि.वि. के उक्त ऑर्डिनेन्स 358 नियम 37 के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी नियमित कर्मचारी/शिक्षक को 5 वर्ष की निरन्तर सेवाअवधि के उपरान्त अध्ययन अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। सदन को अवगत कराया गया कि अध्ययन अवकाश के आवेदन**

**के समय डॉ. शैलेन्द्र जैन की विश्वविद्यालय सेवा में पांच वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण नहीं हुई थी।**

**सदन को यह भी अवगत कराया गया कि ऑर्डिनेन्स 358 नियम 42 में प्रबन्ध मण्डल को नियमों मे शिथिलता दिये जाने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रकरण में गठित कमेटी की अनुशंषा के अनुसार डॉ. जैन द्वारा किया गया MDS पाठ्यक्रम कोर्स है। अतः राज. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन पर इसे विशेष प्रकरण माना जा सकता है।**

**विचार–विमर्श उपरान्त समिति की अभिशंषा के आधार पर डॉ. शैलेन्द्र जैन के अध्ययन अवकाश के प्रकरण को ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत विशेष प्रकरण मानते हुए ऑर्डिनेन्स 358 नियम 37 में पांच वर्ष की निरन्तर सेवाअवधि के प्रावधान में शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही अध्ययन अवधि के दौरान संबंधित चिकित्सक को दिये जाने वाले अध्ययन अवकाश की प्रकृति (अवैतनिक अवकाश या अर्द्धवेतन के साथ अवकाश) के संबंध में वित्त विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त की ली जावे।**

**यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा दी गई उपरोक्त शिथिलता को भविष्य में किसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जावे।**

**एजेण्डा सं. 11 डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में नियमों में शिथिलता के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किये जाने संबंधी सभी प्रकरणों में एकरूपता रखते हुए ही अध्ययन अवकाश सवैतनिक प्रदान किया जाना है अथवा अवैतनिक, के संबंध में निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के समक्ष पुनर्विचार (Review) हेतु रखा गया। प्रबन्ध मण्डल की 123वीं बैठक दिनांक 04.10.2019 के के बिन्दु संख्या 39 में उक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> *"विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) के उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरण कमेटी द्वारा पुनः अध्ययन किया जावे। कमेटी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक कारण सहित अनुशंषा की जाकर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे कि प्रबन्ध मण्डल से क्या शिथिलता प्राप्त की जानी है। किन–किन प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की जानी है, इसका भी कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जावें।*
> *भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत ही किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।"*

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.05.2020 को विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। उक्त बैठक में सलाहकार समिति सदस्यों द्वारा डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंषा की गई है :–

> *"सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरान्त समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह अनुशंषा व्यक्त की है कि डॉ. मुनेश कुमार का पूर्व राजकीय सेवा के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी कोर्स (DM Gastroenterology) में प्रवेश सेवारत*

*कोटे (In-Service Quota) में हुआ है।*

*राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम–37 के प्रावधानन्तर्गत एक शिक्षक को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है बशर्ते उसने आवेदन की तिथि तक विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संकाय/संस्था/कॉलेज/इकाई में पांच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो।*
*डॉ. मुनेश कुमार की राज.स्वा.वि.वि. के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यग्रहण दिनांक से पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नही हुई है।*
*राजस्थान विश्वविद्यालय के उक्त ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत विशेष प्रकरणों में शिथिलता प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपरोक्त नियमों के नियम 42 के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार – "Notwithstanding anything mentioned above, the syndicate shall have the power to relax these rules in special cases and grant such leave as it may deem fit for reasons to be recorded in writing."*
*यहां उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय का नवीन चिकित्सालय प्रारंभ हो चुका है। डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पहले चिकित्सक शिक्षक है। भविष्य में नवीन चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी विंग प्रारंभ होने पर डॉ. मुनेश कुमार द्वारा पूर्ण किया गया उक्त पाठ्यक्रम नवीन चिकित्सालय के लिए बेहद उपयोगी होगा। चूंकि उक्त सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी है।*
*अतः राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन–सी के नियम–42 के तहत इसे विशेष प्रकरण मानते हुए नियम 37 में वर्णित प्रावधान – "पांच वर्ष की निरन्तर सेवा" में शिथिलता प्रदान किया जाना औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत होगा।*
*अतः विश्वविद्यालय के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 42 के प्रावधानान्तर्गत शिथिलता प्रदान किये जाने की समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है। चूंकि उक्त नियमानुसार शिथिलता प्रदान करने की शक्ति प्रबन्ध मण्डल में निहित है।*
*अतः संबंधित प्रकरण में नियमों में शिथिलता दिये जाने हेतु प्रस्ताव, कमेटी की अनुशंषा के साथ आगामी विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष रखा जाना उचित होगा। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार ही उक्त प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"*

अतः सलाहकार समिति द्वारा की गई उक्त अनुशंषा के क्रम में डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में नियमों में शिथिलता बाबत प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि यह प्रकरण भी एजेण्डा 10 के प्रकरण के समान ही है एवं इस प्रकरण में भी कमेटी द्वारा प्रकरण को ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत विशेष प्रकरण माने जाने की अनुशंषा की गई है। कमेटी की राय के अनुसार डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पहले चिकित्सक शिक्षक है। भविष्य में संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी विंग प्रारंभ होने पर डॉ. मुनेश कुमार द्वारा पूर्ण किया गया उक्त पाठ्यक्रम (DM Gastroenterology) नवीन चिकित्सालय के लिए बेहद उपयोगी होगा। विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी भी है।**

**विचार–विमर्श उपरान्त समिति की अभिशंषा के आधार पर डॉ. मुनेश कुमार के अध्ययन**

**अवकाश के प्रकरण को ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत विशेष प्रकरण मानते हुए ऑर्डिनेन्स 358 नियम 37 के पांच वर्ष की निरन्तर सेवाअवधि के प्रावधान में शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही अध्ययन अवधि के दौरान संबंधित चिकित्सक को दिये जाने वाले अध्ययन अवकाश की प्रकृति (अवैतनिक अवकाश या अर्द्धवेतन के साथ अवकाश) के संबंध में वित्त विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त की ली जावे।**

**यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा दी गई उपरोक्त शिथिलता को भविष्य में किसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जावे।**

**एजेण्डा सं. 12 सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–II, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में नियमों में शिथिलता के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) स्वीकृत किये जाने संबंधी सभी प्रकरणों में एकरूपता रखते हुए ही अध्ययन अवकाश सवैतनिक प्रदान किया जाना है अथवा अवैतनिक, के संबंध में निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के समक्ष पुनर्विचार (Review) हेतु रखा गया। प्रबन्ध मण्डल की 123वीं बैठक दिनांक 04.10.2019 के के बिन्दु संख्या 39 में उक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> *"विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश (Study Leave) के उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरण कमेटी द्वारा पुनः अध्ययन किया जावे। कमेटी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक कारण सहित अनुशंषा की जाकर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे कि प्रबन्ध मण्डल से क्या शिथिलता प्राप्त की जानी है। किन–किन प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की जानी है, इसका भी कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जावें।*
> *भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत ही किये जाने का निर्णय भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।"*

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.05.2020 को विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। उक्त बैठक में सलाहकार समिति सदस्यों द्वारा निम्नानुसार अनुशंषा की गई है :–

> *"सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–II, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरान्त समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह अनुशंषा/राय व्यक्त की है कि सुश्री सरोज बाला का M.Sc. Nursing Course में प्रवेश सेवारत कोटे (In-Service Quota) में हुआ है।*
> *राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम–37 के प्रावधानन्तर्गत एक शिक्षक को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है बशर्ते उसने आवेदन की तिथि तक विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संकाय/संस्था/कॉलेज/इकाई में पांच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन–डी नियम–41 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है – "The provisions of the following rules, under Section (C) shall also apply mutatis mutandis of the University employees"' अतः उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कार्मिकों पर भी लागू होते है।*
> *सुश्री सरोज बाला की राज.स्वा.वि.वि. के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यग्रहण दिनांक से उनके अध्ययन अवकाश पर जाने की अवधि के दौरान 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नही हुई।*

*राजस्थान विश्वविद्यालय के उक्त ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत विशेष प्रकरणों में शिथिलता प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपरोक्त नियमों के नियम 42 के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार – "Notwithstanding anything mentioned above, the syndicate shall have the power to relax these rules in special cases and grant such leave as it may deem fit for reasons to be recorded in writing."*

*किन्तु उक्त नियमों के तहत शिथिलता प्रदान किये जाने का प्रावधान केवल विशेष प्रकरणों में है। चूंकि सुश्री सरोज बाला अशैक्षणिक कार्मिक है तथा वर्तमान में नर्स ग्रेड–।। के पद पर कार्यरत है। राज्य सरकार के नियमानुसार नर्स ग्रेड–। के पद पर पदोन्नति हेतु M.Sc. Nursing पाठ्यक्रम होना आवश्यक नही है। अतः राज. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत इसे विशेष प्रकरण नही माना जा सकता। अतः समिति की राय में उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 42 के प्रावधानान्तर्गत शिथिलता प्रदान किये जाने का औचित्य प्रतीत नही होता है।*

*चूंकि उक्त नियमानुसार शिथिलता प्रदान करने की शक्ति प्रबन्ध मण्डल में निहित है। अतः संबंधित प्रकरण में नियमों में शिथिलता बाबत प्रस्ताव, कमेटी की अनुशंषा के साथ आगामी विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाना उचित होगा। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार ही उक्त प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"*

अतः सलाहकार समिति द्वारा की गई उक्त अनुशंषा के क्रम में सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।।, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरण में नियमों में शिथिलता बाबत प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि यह प्रकरण भी एजेण्डा 10 के प्रकरण के समान ही है। परन्तु इस प्रकरण में कमेटी की अनुशंषा में प्रकरण को ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत विशेष प्रकरण नहीं माना गया है। डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि शैक्षणिक पदो के अनुसार अशैक्षणिक कर्मचारियों को भी उच्च अध्ययन के अवसरों का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रकरण में चर्चा के दौरान प्रार्थी सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। को सदन के समक्ष बुलाकर उनकी अभ्यावेदन सुना गया।**

**सदन के सदस्यों का यह मत था कि सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। द्वारा किया गया उच्च अध्ययन एम.एस.सी. नर्सिंग कोर्स भी नर्सिंगकर्मियों के ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें पूर्व में अध्ययन कार्य हेतु रिलीव किया गया था एवं वर्तमान में इनका अध्ययन पूर्ण भी हो चुका है और पुनः विश्वविद्यालय सेवा में सुश्री सरोज बाला द्वारा ज्वाईनिंग भी दी जा चुकी है।**

**विचार–विमर्श उपरान्त एजेण्डा 10 व 11 के प्रकरणों के समान ही इस प्रकरण को मानते हुए सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। के अध्ययन अवकाश के प्रकरण को ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम–42 के तहत विशेष प्रकरण मानते हुए ऑर्डिनेन्स 358 नियम 37 में पांच वर्ष की निरन्तर सेवाअवधि के प्रावधान में शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही अध्ययन अवधि के दौरान संबंधित कार्मिक को दिये जाने वाले अध्ययन अवकाश की प्रकृति (अवैतनिक अवकाश या अर्द्धवेतन के साथ अवकाश) के संबंध में वित्त विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त की ली जावे।**

**यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा दी गई उपरोक्त शिथिलता को भविष्य में किसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जावे।**

**एजेण्डा सं. 13** **जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर द्वारा सत्र 2020–21 में एम.बी.बी.एस. कोर्स की सीट अभिवृद्धि प्रकरण में कम जमा कराई गई राशि रू. 10000/– के संबंध में:–**

विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर 2020–21 के अनुसार पूर्व में जमा राशि का यदि समायोजन करवाया जाता है तो उक्त राशि का 10 प्रतिशत भाग समायोजन राशि के रूप में विश्वविद्यालय में जमा कर लिया जाता है। इस प्रकार 10 प्रतिशत राशि काटे जाने के उपरान्त ही शेष राशि का समायोजन महाविद्यालय द्वारा आवेदन करने पर किया जाता है। जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर द्वारा सत्र 2020–21 में एम.बी.बी.एस. कोर्स की सीट अभिवृद्धि हेतु विश्वविद्यालय में शुल्क जमा करवाया गया है जो पूर्व में जमा सम्बद्धता शुल्क को समायोजित करते हुए विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उक्त महाविद्यालय से राशि रू. 10000/– कम प्राप्त हुए है एवं यह राशि वि.वि. में जमा करवाये जाने हेतु महाविद्यालय को अवगत कराया गया है। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर द्वारा पत्रांक 7939 दि. 15.02.2020 द्वारा उक्त राशि माफ किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रकरण के संबंध में सदन को अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त राजकीय संस्था जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर से समायोजन राशि प्राप्त नहीं किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।**

## TABLE AGENDA

**टेबल एजेण्डा सं. 1** **शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ जमा करवाई गई 18% GST की राशि को पुनः संबंधित महाविद्यालयों को रिफण्ड किये जाने के संबंध में :–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 19761 दि. 28.12.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ 18% (9% CGST + 9% SGST) की दर से GST की राशि भी जमा कराने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया गया था। सक्षम स्तर से प्राप्त आदेशों के उपरान्त वि.वि. द्वारा अधिसूचना क्र. 20237 दि. 07.01.2019 जारी कर विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर समस्त संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क (सत्र 2019–20) बिना GST की राशि के ही जमा करवाया जाना है। इस प्रकार जिन महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ जो GST की राशि जमा करवाई गई है उसे संबंधित महाविद्यालयों को पुनः रिफण्ड किया जाना है।

उक्त प्रकरण चर्चा एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु सं. 30 में रखा गया। प्रबन्ध मण्डल की उक्त बैठक में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि कर के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई GST की राशि को पुनः विश्वविद्यालय स्तर से संबंधित महाविद्यालयों को लौटाया जाना उचित नहीं है, उक्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जानी उचित होगी। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त जमा GST की राशि की मांग की गई हो/जाती है तो उन्हें इस रिफण्ड हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी को ही आवेदन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जावे।

प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय व निर्देशों की पालना में लेखा अनुभाग, राज.स्वा.वि.वि. को आवश्यक टिप्पणी व कार्यवाही बाबत् सूचित किया गया। लेखा अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि GST की राशि को प्राप्त किये जाने के बाद राजकोष में एक निश्चित अवधि में जमा करवाया जाना आवश्यक होता है अन्यथा GST की राशि प्राप्त करने वाले संस्था/व्यक्ति को पेनल्टी दी जानी होती है। अतः उक्त तथ्य के दृष्टिगत यदि विश्वविद्यालय द्वारा GST की राशि को यदि अब राजकोष में जमा करवाया जाता है तो विश्वविद्यालय को पेनल्टी के रूप में भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है।

लेखा अनुभाग, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा भूल–चूक, लेनी–देनी के सामान्य सिद्धान्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर ही GST की राशि संबंधित सभी महाविद्यालयों को लौटाये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों द्वारा जो GST की राशि विश्वविद्यालय में जमा करवाई गई है उसे पुनः लौटाये जाने का निर्णय तो पूर्व में प्रबन्ध मण्डल के स्तर से हो चुका है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह राशि राजकोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया था ताकि जिन महाविद्यालयों को रिफण्ड का आवेदन करना हो वे संबंधित सक्षम स्तर से ही यह राशि पुनः प्राप्त करें।**

**बैठक में उपस्थित वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा कहा गया कि GST की राशि को प्राप्त किये जाने के बाद राजकोष में एक निश्चित अवधि में जमा करवाया जाना आवश्यक होता है अन्यथा GST की राशि प्राप्त करने वाले संस्था/व्यक्ति को पेनल्टी दी जानी होती है। वर्तमान समय तक उक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में ही जमा है, यदि विश्वविद्यालय द्वारा GST की राशि को राजकोष में जमा करवाया जाता है तो विश्वविद्यालय को पेनल्टी के रूप में भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। अतः भूल–चूक, लेनी–देनी के सामान्य सिद्धान्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर ही GST की राशि संबंधित सभी महाविद्यालयों को लौटाये जाना उचित होगा।**

**विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ GST की राशि जमा करवाई गई है उसे संबंधित महाविद्यालयों को पुनः रिफण्ड किये जाने की कार्यवाही की जावे। यदि कोई महाविद्यालय उक्त राशि को आगामी सत्रों के सम्बद्धता शुल्क की राशि में समायोजित करना चाहे तो ऐसी राशि का समायोजन रिफण्ड नहीं किये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा।**

टेबल एजेण्डा सं. 2 **अतिरिक्त कुलसचिव (Additional Registrar) का पद सृजन हेतु राज्य सरकार से निवेदन किये जाने के संबंध में :–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में विभिन्न अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्थापना के समय राज्य सरकार के आदेश वर्ष 2005 द्वारा की गयी थी। जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय हेतु दिनांक 26.07.2016 को केवल दो उपकुलसचिव के पद सुजित किये गये है।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 के एजेण्डा सं. 21 में संयुक्त–कुलसचिव (Joint Registrar Grade Pay Rs. 7600/-) का पद सृजित करने के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद संयुक्त–कुलसचिव का पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया तथा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों में भी संयुक्त–कुलसचिव पद को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों पर वित्त विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों में उपलब्ध पदनाम के अनुसार पदों को ही सेवानियमों में रखने के दृष्टिगत रखते हुये सेवा नियमों से संयुक्त–कुलसचिव के पद को विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा निमयों से हटाते हुए

अतिरिक्त–कुलसचिव ग्रेड–पे–6800 (जिसका वेतनमान संयुक्त–कुलसचिव ग्रेड–पे 7600 के वेतनमान से कम का है) का पद नाम सेवा–नियमों के सिड्यूल में रखा गया।

राजस्थान में स्थित अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर व अन्य) में भी अतिरिक्त–कुलसचिव (वेतनमान 15600–39100 (ग्रेड–पे 6800) का पद सृज्जित किये गये है। सुलभ संन्दर्भ हेतु उक्त विश्वविद्यालयों की विज्ञप्तियों की छायाप्रतियां भी संलग्न की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना वर्ष 2005 में की गयी थी विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष से आज दिनांक तक सम्बद्व महाविद्यालयों की संख्या, छात्रों के नामांकन, संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा निरन्तर प्रशासनिक कार्यों में अभीवृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों की संख्या, नामांकित छात्रों की संख्या, कुल अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं विश्वविद्यालय के तीन संघटक महाविद्यालय यथा राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, राज.स्वा.वि. वि. दन्त महाविद्यालय एवं राज. स्वा. वि. वि. नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है जिससे अन्य दिन–प्रति दिन के कार्यों में कई गुणा अभिवृद्धि होने के पश्चात् भी अशैक्षणिक पदों की संख्या में कोई विशेष अभिवृद्धि नहीं हुई है।

विश्वविद्यालय में अतिरिक्त–कुलसचिव का पद सृज्जन से वर्तमान में कुलसचिव के पद पर अत्यधिक अतिरिक्त कार्यभार जैसे सूचना का अधिकारी, मानवाधिकार आयोग, कोर्ट–कैसेज, सुगम–सम्पर्क, जनसुनवाई इत्यादि से संबंधित कार्यों का कार्यभार भी कम हो पायेगा, जिससें जल्द प्रशासनिक निर्णय एवं कार्य में तत्परता एवं सुगमता भी आने की संभावना होगी तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों को जो वर्ष 2013 से नियमित कार्यरत को पदौन्नतियों का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्नानुसार अधिकारियों के पद स्वीकृत है:–

| | |
|---|---|
| कुलसचिव | –1 राज्य सरकार से राज. प्रशासनिक सेवा से नियुक्ति |
| अतिरिक्त–कुलसचिव | –पद सृजित नहीं (रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड–पे–6800) |
| उप–कुलसचिव | –3 (रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड–पे–6600) |
| सहायक कुलसचिव | –4 (रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड–पे–5400) |
| अनुभागाधिकारी | –5 (रनिंग पे–बेण्ड 9300–34800, ग्रेड–पे–4800) |

राजस्थान में स्थित विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों में भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उप–कुलसचिव एवं कुलसचिव के पदों के मध्य अतिरिक्त–कुलसचिव का पद होता है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों में भी उप–कुलसचिव के पद से अतिरिक्त कुलसचिव के पद पर पदोन्नति प्रस्तावित की गयी है।

अत: उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में एक अतिरिक्त–कुलसचिव (Additional Registrar) (पे–बेण्ड–3, रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड पे–6800, ग्रेड) का पद सृज्जित कराये जाने हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सदन को अवगत कराया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की तर्ज पर राज.स्वा.वि.वि. में भी अतिरिक्त–कुलसचिव (Additional Registrar) का एक पद सृजित किया जाना चाहिए, जिससे अधिकारियों को अग्रिम पदों पर पदोन्नति का अवसर मिल सके। उक्त पद का सृजन विश्वविद्यालय हित में होगा।**

**विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के कार्य एवं अधिकारियों के पदोन्नति के हित को ध्यान**

**में रखते हुए अतिरिक्त–कुलसचिव (Additional Registrar) (पे–बेण्ड–3, रनिंग पे–बेण्ड 15600–39100, ग्रेड पे–6800, ग्रेड) का एक पद सृजित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।**

टेबल एजेण्डा सं. 3

**आचार्य एवं सह–आचार्य पदों के आरक्षण रोस्टर (वर्ष 2020–21) का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

श्री के.सी.डी. माथुर, सेवानिवृत्त शासन उप सचिव एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार से विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दंत विज्ञान महाविद्यालय) हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों हेतु स्वीकृत आचार्य एवं सह–आचार्य पदों के संबंध में आरक्षण रोस्टर (वर्ष 2020–21) प्राप्त हुआ है।

अतः श्री माथुर से प्राप्त आचार्य एवं सह–आचार्य पदों के आरक्षण रोस्टर (वर्ष 2020–21) का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

निर्णय :

**सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दंत विज्ञान महाविद्यालय) में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में स्वीकृत आचार्य एवं सह–आचार्य पदों के संबंध में श्री के.सी.डी. माथुर,** *सेवानिवृत्त शासन उप सचिव एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार* **द्वारा विभिन्न विभागों के नाम को Alphabetic क्रम में रखते हुए आरक्षण रोस्टर (वर्ष 2020–21) तैयार किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त उक्त आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन किया गया।**

टेबल एजेण्डा सं. 4

**राज्य सरकार द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में नियुक्ति दिये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय के पत्रांक 6787 दिनांक 11.06.2020 के द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 के निम्नांकित 06 चयनित अभ्यर्थियों में से 05 अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के साथ संलग्न कर इनके नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित किये है :–

| क्र.सं. | अभ्यर्थियों के नाम |
|---|---|
| 01 | पायल कुमारी गोयल |
| 02 | श्री प्रसाद शुक्ला |
| 03 | श्री गजेन्द्र सिंह |
| 04 | श्री प्रवीण कुमार पूनियां |
| 05 | श्री प्रभुदयाल बैरवा |
| 06 | श्री पप्पू लाल मीणा |

उक्त के क्रम में उल्लेख है कि प्रशासनिक सुधार विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.1(1)प्र.सु. /अनु.–3/2020जयपुर दिनांक 16.05.2020 के द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को विभाग (नियुक्ति अधिकारी) आवंटित कर, उपरोक्त 06 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर नियुक्ति संबंधी अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

यहां उल्लेख है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के तहत हुई है। राज.स्वा.वि.वि. एक स्वायत्तशाषी संस्थान है। चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.08.2011 के द्वारा राजकीय दंत महाविद्यालय, जयपुर को इस विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया गया है।

साथ ही उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार विभाग, राज. सरकार के प्रासंगिक पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी जबकि राज.स्वा.वि.वि. में पृथक से सेवा नियम लागू होंगे।

अतः राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के सेवा नियमों तथा कैडर में भिन्नता होने के कारण कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 के चयनित उपरोक्त 06 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : **प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के सेवा नियमों व कैडर में भिन्नता होने के कारण वि.वि. के संघटक दन्त महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार की भर्ती "कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018" के चयनित उपरोक्त 06 अभ्यर्थियों के प्रकरण पुनः राज्य सरकार को लौटाये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा सं. 5 **राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को पुनः सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन किये जाने के संबंध में :**

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमांक प.1(91)एम.ई./ग्रुप–1/2013 जयपुर दिनांक 04.02.2020 के द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को पुनः सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय की टिप्पणी/अभिमत से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

इस क्रम में उल्लेख है कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.08.2011 के द्वारा राजकीय दंत महाविद्यालय, जयपुर को इस विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया गया था। अधिसूचना पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक के रिक्त पदों पर भर्तियां की गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त 01 आचार्य, 02 सह–आचार्य, 39 सहायक आचार्य एवं 18 वरिष्ठ प्रदर्शक दंत विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत है तथा 08 चिकित्सक शिक्षकों का राजकीय सेवा से विश्वविद्यालय सेवा में समायोजन किया जा चुका है। शेष चिकित्सक शिक्षक तथा अन्य अशैक्षणिक, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं लेखा संवर्ग के कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित है। अतः चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र के क्रम में राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को पुनः सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : **डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा पूर्व में दन्त महाविद्यालय को वि.वि. का संघटक महाविद्यालय घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय की जानकारी चाही गई। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संघटक महाविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया गया था। वर्तमान में उक्त दन्त महाविद्यालय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने अन्य संकाय जैसे मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल में संघटक महाविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।**

**बैठक में उपस्थित डॉ. संदीप टंडन, प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय ने सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय का संघटक कॉलेज घोषित किये जाने के बाद दन्त महाविद्यालयों को राज्य सरकार से वेतन, मेन्टीनेंन्स, उपकरण आदि के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। गत वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा इन खर्चों का भुगतान किया गया है जिससे विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार बढ गया है। प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि दन्त महाविद्यालय से संलग्न दन्त चिकित्सालय में डेन्टल चेयर खरीद और चिकित्सा सेवा के अन्य महत्वपूर्ण मदों में व्यय की बहुत आवश्यकता है और इन मदों में खर्च होने वाली अनुमानित राशि लगभग रू. 5 करोड है।**

**डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया चुंकि राज्य सरकार के आदेश से दन्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया गया था इसलिए इस संबंध में प्रबन्ध मण्डल के स्तर से कोई भी निर्णय लिये जाने से पूर्व राज्य सरकार का दृष्टिकोण प्राप्त करना भी आवश्यक है। चर्चा उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को पुनः राज्य सरकार के अधीन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में उचित नहीं समझा गया। सदन का यह भी मत था कि**

**विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी इस प्रकार पुनः किसी संघटक कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान वर्णित नहीं है।**

**विचार–विमर्श उपरान्त चिकित्सा सेवा और शिक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ करने के लिए दन्त चिकित्सालय की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का विस्तृत प्रस्ताव प्रधानचार्य से प्राप्त किया जावे। उक्त खर्च हेतु राशि रू. 3.00 करोड को विश्वविद्यालय कोष से दन्त महाविद्यालय को दिये जाने** *(वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 1.50 करोड और आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू. 1.50 करोड़)* **के संबंध में प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष रखे जाने का भी निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।**

टेबल एजेण्डा सं. 6 — **विद्यापरिषद् की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**
विद्यापरिषद् की बैठक दि. 18.06.2020 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विद्यापरिषद् की बैठक दि. 18.06.2020 का कार्यवाही विवरण के मुख्य बिन्दुओं और निर्णयों से प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया। विद्या–परिषद द्वारा की गई निम्नलिखित अनुशंषाओं (विद्या परिषद के निर्णय सं. 3, 5, 6, 7, 9 एवं 25 क्रमशः) का प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा उपरान्त अनुमोदन किया गया :–**

1. **सम्बद्धता आवेदन 2020–21 से संबंधित**
प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि कुछ फार्मेसी महाविद्यालय जो पहले से किसी फार्मेसी कोर्स (बी.फार्मा/डी.फार्मा) को संचालित कर रहे थे और सत्र 2019–20 में नया कोर्स (बी.फार्मा/डी.फार्मा) लाना चाहते है, उन्होंने पृथक से सम्बद्धता आवेदन नहीं करके पहले से चल रहे कोर्स की सम्बद्धता आवेदन पत्रावली के साथ ही नवीन कोर्स का आवेदन कर दिया, जबकि ऐसे नवीन कोर्स का आवेदन पृथक से किया जाना होता है। विद्या परिषद द्वारा ऐसे नवीन सम्बद्धता आवेदन जो पृथक से प्रस्तुत नहीं किये गये उन्हें निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई।

सम्बद्धता शुल्क कलेण्डार सत्र 2020–21 में सम्बद्धता शुल्क की राशि ऑफलाईन (डी.डी.) जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया था। कुछ महाविद्यालयों द्वारा ऑफलाईन (डी.डी.) सम्बद्धता शुल्क के स्थान पर ऑनलाईन जमा करवाया गया। विद्या परिषद द्वारा ऐसे ऑनलाईन सम्बद्धता शुल्क को स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की गई है।

2. **बी.फार्म कोर्स में एकेडमिक प्रोग्रेशन से संबंधित :**
प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के बी.फार्मा ऑर्डिनेन्स के अनुसार छात्र तृतीय सेमेस्टर में तब प्रमोट होगा जब उसके प्रथम समेस्टर के सभी पेपर क्लीयर होंगे। पंचम सेमेस्टर में तब प्रमोट होगा जब तृतीय सेमेस्टर के सभी पेपर क्लीयर होगें और इसी प्रकार सप्तम सेमेस्टर में तब जायेगा जब उसके पंचम समेस्टर के सभी पेपर क्लीयर होंगे।

पी.सी.आई. द्वारा दी गई सूचना/सुझाव के अनुसार एकेडमिक प्रोग्रेशन के प्रावधानों में उपरोक्तानुसार शिथिलता सत्र 2017–18, 2018–19 और 2019–20 में प्रवेशित छात्रों हेतु लागू किये जाने का निर्णय विद्या–परिषद द्वारा लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह शिथिलता भविष्य में उदाहरण के तौर पर नहीं ली जावेगी। सत्र 2020–21 से प्रवेशित होने वाले छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्रेशन हेतु प्रावधान विश्वविद्यालय के संशोधित ऑर्डिनेन्स नोटिफिकेशन 02/2017 के अनुसार रहेंगे।

3. **भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली की मान्यता/स्वीकृति :**
प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत आई.एन.सी. अब नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अधिकृत नहीं है। विद्या–परिषद ने भी अब तक हुई कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय/आदेश के

अनुसार सत्र 2019–20 एवं आगामी सत्रों में नर्सिंग संकाय के महाविद्यालयों को राज. स्वा.वि.वि. की सम्बद्धता के लिए आई.एन.सी. नई दिल्ली की मान्यता की आवश्यकता नहीं होने का निर्णय लिया है।
आई.एन.सी., नई दिल्ली की स्वीकृति के स्थान पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की स्वीकृति के संबंध में राज्य सरकार से शीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय विद्या–परिषद ने लिया है।

4. **EWS कोटे के प्रावधान को लेकर समब्द्धता आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि :**
प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रथम बार EWS कोटे के तहत सीटों का प्रावधान हुआ है और इस कोटे के लिए पी.जी. मेडिकल महाविद्यालयों को देरी से भारत सरकार/राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विद्या–परिषद द्वारा सम्बद्धता शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 29.02.2020 से बढाकर दिनांक 31.07.2020 (including Fresh Affiliation) किये जाने की अनुशंषा की गई है।

सत्र 2020–21 की सम्बद्धता के लिए संबंधित उच्च परिषद की स्वीकृति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 31.07.2020 (सभी संकायों के लिए) करने की अनुशंषा की गई है।

5. **ऑन–लाईन प्रवेश परीक्षाऐं/काउन्सलिंग के लिए एजेन्सी :**
सदन को अवगत कराया गया कि विद्या–परिषद द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आयोजन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली योग्य ऐजेन्सियों का एक पेनल तैयार किया जाकर "Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" के प्रावधानों की पालना में सभी से दर संविदा निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी दर संविदा वाली एजेन्सियों में किसी परीक्षा विशेष के लिए एक एजेन्सी का पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ चयन करने हेतु विद्या–परिषद द्वारा निम्न समिति का गठन किया गया है :–
1. चेयरमेन, प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल, राज.स्वा.वि.वि.
2. संयोजक, संबंधित प्रवेश/भर्ती परीक्षा (जिसके लिए एजेन्सी का चयन किया जाना हो)

6. **डॉ. सविता कुमारी लोयल, पी.जी. रेजीडेन्ट बैच 2017–18 (स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर :–**
सदन को अवगत कराया गया कि विद्या–परिषद की बैठक में पी.जी. छात्रा डॉ. सविता कुमारी लोयल की मेडिकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पर सहानूभूतिपूर्वक विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त डॉ. सविता कुमारी लोयल की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत और SBCWP No. 27924/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2019 के कम में प्राचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के स्तर पर गठित समिति की अभिशंषा के आधार पर विश्वविद्यालय ऑर्डिनेन्स 278-E-IV Clause –V के प्रावधानों में पी.जी. ट्रेनिंग काल के दौरान अवकाश की अधिकतम अवधि में शिथिलता प्रदान की गई और सर्वसम्मति से डॉ. सविता कुमारी लोयल पी.जी. रेजीडेन्ट बैच 2017–18 (स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग) को अपनी शेष पी.जी. ट्रेनिंग एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पूर्ण किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त निर्णय को भविष्य में उदाहरण स्वरूप अन्य प्रकरणों में नही लिये जाने का भी निर्णय विद्या–परिषद द्वारा लिया गया है।

डॉ. सविता कुमारी लोयल की पी.जी. ट्रेनिंग की अवधि को उनकी अनुपस्थिति की अवधि के अनुसार आगे बढाये जाने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया है। डॉ. सविता कुमारी लोयल की अनुपस्थिति की अवधि और ऑर्डिनेन्स 278-E-IV Clause –V के अनुसार पी.जी. ट्रेनिंग की शेष रही अवधि के संबंध में प्रधानाचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग को अवगत कराया

जावेगा।

उपरोक्त निर्णय/अनुशंषाओं के अनुमोदन सहित विचार–विमर्श उपरान्त विद्यापरिषद् की बैठक दि. 18.06.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा सं. 7 — राज.स्वा.वि.वि. चिकित्सालय में सुपरस्पेशियलिटी विभाग प्रारम्भ किये जाने के संबंध में :–

निर्णय : बैठक में चर्चा के दौरान डॉ. सुधीर भण्डारी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज (सदस्य प्रबन्ध मण्डल) द्वारा कहा गया कि एस.एम.एस. हॉस्पीटल में सुपरस्पेशियलिटी विभागों में मरीजों का बहुत दबाव है। मरीजों के बढते दबाव को कम करने के लिए उचित होगा कि विश्वविद्यालय के संघटक चिकित्सालय में भी सुपरस्पेशिलिटी की सेवाऐं चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ की जा सकती है।

डॉ. राजकुमार शर्मा, मा. विधायक द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत डॉ. मुनेश कुमार (DM Gastroenterology) द्वारा उनको एक अभ्यावेदन भी इस संबंध में प्रस्तुत किया है। उक्त अभ्यावेदन में राज.स्वा.वि.वि. अस्पताल/राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में गेस्ट्रोंएन्ट्रोलॉजी विभाग की स्थापना की जा सकती है। उन्होने अपने अभ्यावेदन में यह भी प्रस्ताव दिया कि उनके वर्तमान पद "सहायक आचार्य (मेडिसिन)" के पद को ही यदि "सहायक आचार्य (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी)" में परिवर्तित की जाकर गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी की शुरूआत की जा सकती है।

बैठक में उपस्थिति प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कहा गया कि महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग के सहायक आचार्य के पद को अन्य विभाग के पद में परिवर्तित करने पर एम.सी.आई. निरीक्षण के दौरान आक्षेप लगाया जा सकता है। प्रधानाचार्य द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि विश्वविद्यालय के सुपरस्पेशियलिटी रिसर्च हॉस्पीटल के लिए "सहायक आचार्य (कार्डियोलॉजी)" के दो पद स्वीकृति है, जिनमें सेएक पद को "सहायक आचार्य (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी)" में परिवर्तित किया जा सकता है।

बैठक में उपस्थिति वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा कहा गया कि जिन सुपरस्पेशिलिटी विभागों को प्रथम चरण में प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है उनकी स्थापना के संबंध में पदों की संख्या सहित एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा ताकि राज्य सरकार के स्तर से नवीन पदो के सृजन अथवा वर्तमान पदों के परिवर्तन के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर कार्यवाही की जा सके।

विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के संघटक जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में तुरन्त प्रभाव से गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग की सेवाऐं प्रारम्भ कर दी जावें। उक्त विभाग का विस्तृत प्रस्ताव (पदों सहित) प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा, जिसे राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा।
2. राज्य सरकार को विश्वविद्यालय में पूर्व में स्वीकृत "सहायक आचार्य (कार्डियोलॉजी)" के एक पद को "सहायक आचार्य (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी)" में परिवर्तित किये जाने अथवा नवीन रूप से "सहायक आचार्य (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी)" का एक पद सृजित किये जाने बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(कालू राम)
सदस्य सचिव– प्रबन्ध मण्डल एवं
कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि.,
जयपुर